भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या : /सू0का0अधि0अधि0–05/2012–13 दिनांक 07 मार्च, 2013

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के समयबद्ध निष्पादन में यह पाया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों की कार्यालय में प्राप्ति तथा उक्त के कार्यालय के अन्तर्गत परिचालन व निष्पादन में अधिक समय लग रहा है तथा विभिन्न अनुभागों से सूचना समयान्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जिससे विभाग में प्रथम अपील की संख्या तथा मा0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील की संख्या में बृद्धि हो रही है। यह अतयन्त गंभीर विषय है। उक्त को ध्यान में रखतें हुये कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु व विभागीय कार्यों में पारदर्शिता हेतु आवश्यक है कि :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आने वाले सभी अनुरोधपत्रों के साथ उनका लिफाफा भी अनुरोध पत्र के साथ संलग्न किया जाय तथा उस पर सम्बन्धित डाकिया व विभागीय प्रेषक लिपिक के हस्ताक्षर हो जिसे अनुरोध पत्र के कार्यालय में आने का प्रमाण माना जायेगा, तथा उसी दिन अनुरोध पत्रों को कार्यालय की डायरी/पंजिका में अंकित किया जाय।
2. सम्बन्धित अनुरोध पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मार्क होने के बाद उसी दिन लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये जिससे सभी अनुरोध पत्रों पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।
3. लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) अथवा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित अनुभाग/पटल के अधिकारी अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना प्राप्ति हेतु अधिकतम 05 दिनों के अन्दर पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. विभागीय समस्त अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5(4) के अनुसार व उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी को, अनुरोधकर्ता को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुये, उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त सूचना सम्बन्धित पटल के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिये। उक्त कार्य/सूचना देने हेतु सम्बन्धित अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5(5) के अधीन प्रासंगिक रूप से लोक सूचना अधिकारी माने जायेगें और सूचना देने में बिलम्ब या अन्य अनियमितता की दशा में आर्थिक दण्ड सहित अन्य सभी दण्डात्मक प्राविधान उन पर भी लागू होंगे।
5. अनुरोधकर्ता के लिये वांछित सूचना हेतु यदि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो, लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्त होने की दशा में, तो सम्बन्धित अनुरोधकर्ता के लिये समयान्तर्गत लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त शुल्क हेतु पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 से सम्बन्धित समस्त पत्र उसी दिन ही स्पीडपोस्ट, रजिस्टर्ड डाक अथवा विशेष पत्र वाहक द्वारा (समयावधि के अनुसार) प्रेषण किया जाना सुनिश्चित करें जिससे मा0 राज्य सूचना आयोग तथा अनुरोधकर्ता को समयान्तर्गत सूचना प्राप्त हो सकें। उक्त हेतु प्रेषण लिपिक कार्यालय प्रति में दिनांक सहित ''प्रेषित किया'' लिखेगे।

7. यदि अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करवायी जाने वाली सूचना का आकार अधिक बड़ा है (पृष्ठों की अधिक संख्या, मानचित्र, किसी पुस्तक के क्रय किये जाने से सम्बन्धित आदि) तो ऐसी दशा में अनुभाग/पटल के प्रभारी अधिकारी कार्यालय में अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तिथि से अनुरोधकर्ता को सूचना देने की समाप्ति की तिथि (30 दिन) से न्यूनतम 15 दिन पूर्व लोक सूचना अधिकारी को सूचना सहित अवगत करायेंगे जिससे आवेदक से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त कर आवेदक को निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध करायी जा सके।
8. विभागीय समस्त अधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का भली भांति अध्ययन कर लें व मूल अधिनियम के अनुसार ही समयान्तर्गत अनुरोध पत्रों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रथम व द्वितीय अपीलों की संख्या में अनावश्यक बृद्धि न हो।

उपरोक्तानुसार समस्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें जिससे जनहित के कार्यों में पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सके, अनुरोधकर्ता को निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हो सके व सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का सुचारू रूप से पालन व क्रियान्वयन हो सके।

(शैलेश बगौली)
निदेशक

संख्या : 1422/सू0का0अधि0अधि0–05/2012–13 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सी0–30, डिफेन्स कालोन, देहरादून।
2. संयुक्त निदेशक, खनन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपीलीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. लोक सूचना अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, मुख्यालय देहरादून।
6. प्रभारी अधिकारी स्थापना/लेखा/आहरण वितरण अधिकारी/खनन/अन्वेषण/भण्डार/ड्रिलिंग/भवन निर्माण/रसायन/सर्वेक्षण/मानचित्रण/स्टेशनरी/वाहन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. लोक सूचना अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स कार्यालय जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी व पौड़ी/जनपद चमोली एवं रूद्रप्रयाग/अल्मोड़ा/देहरादून/हरिद्वार/जनपद नैनीताल एवं बागेश्वर/जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
8. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचालन किये जाने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड हेतु।
10. गार्ड फाइल हेतु।

(शैलेश बगौली)
निदेशक